न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00119

उनवान

चम्पा पुत्री अमर सिंह जाति लोधा निवासी कुचावटी तहसील डीग हाल आबाद खरगपुरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

गंगादेई पुत्री अमर सिंह जाति लोधा निवासी कुचावटी तहसील डीग हाल आबाद खरगपुरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी डीग दि0 27.03.2017 प्र.सं. 66/14 उनवानी चम्पा बनाम गंगादेई।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मुकेश कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किस्सो सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 24.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग वादिया/अपीलाण्ट की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादिया/अपीलाण्ट को जन्म से ही मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं। विवादित आराजी पूर्व में वादिया/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 के बाबा रामखिलाडी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। बाबा रामखिलाडी के मरणोपरान्त वादिया/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 के पिता अमर सिंह को प्राप्त हुयी एवं उनके मरणोपरान्त विवादित आराजी की विरासत वादिया/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 की माता नारायनी को प्राप्त हुयी एवं माता नारायनी की मृत्यु उपरान्त उनकी विरासत वादिया/अपीलण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 पर प्रकान्त हुयी। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 चालाक होने के कारण राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी का दाखिला केवल अपने नाम करा लिया। जबकि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति रही है एवं वादिया/अपीलाण्ट का उस पर जन्म से ही अधिकार हासिल हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। पत्रावली पर उपलब्ध साविक राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति प्रमाणित है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 दोनों सगी बहने हैं। पिता अमर सिंह की मृत्यु के बाद दाखिला केवल नारायनी माँ के नाम खुला। रैस्पो0 उस समय नाबालिग थी एवं अपीलाण्ट का उस समय जन्म नहीं हुआ था वह गर्भ में थी। विवादित आराजी माता के मरने के बाद गंगा के नाम आ गयी एवं अपीलाण्ट को विवादित आराजी से वंचित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने सरपंच को तलव किया गया एवं सरपंच के प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.216 से अपीलाण्ट मृतक अमर सिंह की पुत्री होना साबित है। अपीलाण्ट ने सजरा पेश किया गया है। उसके विरोध में रैस्पो0 ने कोई काउन्टर सजरा पेश नहीं किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, अपीलाण्ट को विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्ताकर घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में कथन किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो सजरा पेश किया है, वह गलत व झूठा है। क्योंकि रामखिलाडी के 3 पुत्र क्रमशः विजय सिंह, शिव सिंह व अमर सिंह थे। अपीलाण्ट चंपा विजय सिंह की पुत्री थी। नारायनी की मृत्यु के बाद रैस्पो0 गंगादेई के नाम विरासत आयी। पटवारी व अन्य राजस्व अधिकारियों ने जॉच उपरान्त ही दाखिला खोला। अमर सिंह की केवल एक ही पुत्री गंगादेई थी। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि चंपा अमर सिंह की पुत्री थी। दाखिला खोलते समय भी सरपंच ने जॉच पडताल कर नामान्तकरण तस्दीक किया है। अपीलाण्ट ने दावा एवं अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित आराजी पूर्व में रामखिलाडी के नाम दर्ज रही है एवं रामखिलाडी के फौत होने के बाद विरासतन तीनो पुत्र क्रमशः अमर सिंह, विजय सिंह व शिव सिंह के नाम आयी एवं रामखिलाडी के पुत्र अमर सिंह के फौत होने पर उनकी पत्नि नारायनी के नाम दर्ज हुयी। इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया/अपीलाण्ट का दावा यह कहते हुये खारिज किया है कि उन्होनें ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है, जो विवादित आराजी को विरासत आराजी प्रकट करता हो अथवा वादिया का अमर सिंह की पुत्री होना साबित करता हो। हमने गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

की पत्रावली पर उपलब्ध स्वतंत्र गवाह चन्दन सिंह पुत्र रेवती के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलाण्ट चंपा व प्रतिवादी/रैस्पो0 गंगादेई अमर सिंह की पुत्री हैं व आपस में सगी बहिने हैं। इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह हरी सिंह पुत्र सुम्मेरा ने भी वादिया व प्रतिवादीया को अमर सिंह की पुत्री एवं आपस में सगी बहिने होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत, कुचावटी में भी सरपंच ग्राम पंचायत कुचावटी ने वादिया व प्रतिवादिया को सगी बहिने, जिनमें गंगादेई को बडी व चंपा को छोटी होना अंकित किया है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से चंपा को अमर सिंह की पुत्री होने के तथ्य से सहज इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही हुयी है। अतः पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो। लिहाजा उक्त तथ्य को और अधिक पुष्ट करने हेतु हम उभयपक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य एवं समुचित सुनवाई का एक ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प डीग